



राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.2(4)(क.लि.)(सीधी भर्ती)आ.कृ./6141-55

दिनांक : 16-11-2017

आदेश

प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के पत्रांक प.1(2)प्र0सु0/अनु-3/2016 दिनांक 12.09.2017 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अनुसरण में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वर्ष 2011 में अधीनस्थ कार्यालयों हेतु आयोजित कनिष्ठ लिपिकों की प्रतियोगी परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायकके पद पर नियुक्ति हेतु इस विभाग को आंटित किये जाने के फलस्वरूप इनको अस्थाई आधार पर कनिष्ठ सहायक के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee)के रूप में नियत पारिश्रमिक 8910/- प्रतिमाह पर अधोलिखित शर्तों पर कार्यभार संभालने की तिथि से कनिष्ठ सहायकके रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	नाम एवं स्थाई पता	गृह जिला	वर्ग	मेरिट नं०	रोल नं०	जन्म तिथि	पदस्थापन कार्यालय का नाम
1	श्री नरेन्द्र चौधरी, पुत्र श्री श्योजीराम चौधरी निवासी ग्राम चौरपुरा पो० लावा तहसील मालपुरा जिला टोंक। पिन -304504	टोंक	OBC	331	106390	02.05.1985	कार्या० सहा.अभि. एवं पी. आई.ए., पंचायत समिति, देवली (टोंक)
2	श्री मुरलीधर शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा निवासी ग्राम हाथगी पोस्ट राजपुरातहसील मालपुरा जिला टोंक पिन- 304502	टोंक	GEN	1171	114276	25.06.1989	कार्या० सहा० निदे० कृषि (वि०), दूनी जिला टोंक
3	श्री रजनीश कुमार आत्रेय पुत्र श्री गुरुदत्त शर्मा निवासी गा०पो० मालारामपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ पिन- 335802	हनुमानगढ	GEN	769-A	304116	10.04.1977	कार्या० सहा० निदे० कृषि (वि०), चूरु
4	श्री बजरंग लाल सैनी पुत्र श्री कजोड मल सैनी निवासी कटारिया प्रिंटिंग प्रेस, नई सब्जीमण्डीबां दीकुई तहसील बसवा, जिला दौसापिन - 303325	दौसा	OBC	983-A	708477	05.04.1984	कार्या० सहा० निदे० कृषि (वि०), दौसा
5	श्री आलोक कुमार गुप्ता स्व० पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता निवासी प्लाट नं० 56, खण्डेलवाल नगर विस्तार, प्रेम नगर, (जामडोली), आगरा रोड, जयपुर।पिन -302031	जयपुर	GEN (विकला)	1196	749221	20.10.1978	कृषि आयुक्तालय, जयपुर

- उपरोक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपने पद का कार्यभार सम्भालना होगा। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश 30 दिवस में उक्त पद का कार्यभार संभालने में असमर्थ हो, वे पूर्ण विवरण के साथ कारण स्पष्ट करते हुए निम्नहस्ताक्षरकर्ता को सूचित कर दें कि वे कब तक

कार्यभार संभालेंगे। निर्धारित अवधि में कार्यभार नहीं संभालने अथवा कोई उत्तर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में इनका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

2. अभ्यर्थी की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान वित्त विभाग की अधिसूचना प.12(6)वित्त/नियम/05 दि० 13.03.2006, 6(6)वित्त/नियम/2005 दि० 13.03.2006, 1(2)वित्त/नियम/2006 दि० 13.03.2006, 13(1)वित्त/नियम/2003 दि० 13.03.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 दि० 12.09.2008 के नियम 21 व परिशिष्ट-iv तथा वित्त (नियम) विभाग के अधिसूचना संख्या एफ.14 (1)एफ.डी. (रूल्स)/2013-11 दिनांक 28.06.13/एवं 08.06.2015 के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration)के हकदार होंगे इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते यथा मकान- किराया भत्ता, महंगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे। साथ ही परीक्षाकाल अवधि में इन्हें प्रतिवर्ष 12 आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
4. परिवीक्षाधीन अवधि में कोई वार्षिक वेतन वृद्धि देय नहीं होगी।
5. यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परिवीक्षा अवधि में कभी भी अथवा परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर संतोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
6. यह नियुक्ति पूर्णतया: अस्थायी आधार पर है, परन्तु राज्य सरकार इनके कार्य एवं आचरण की रिपोर्ट के आधार पर एवं अन्य रूप से स्थाईकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब कभी भी स्थाई रिक्त पद उपलब्ध होंगे, इनको कनिष्ठ सहायकके पद पर राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम, 1999 के अन्तर्गत स्थाई आधार पर नियुक्त कर सकेगी।
7. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ही इनका वेतन निर्धारण करते हुए नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।
8. परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।
9. राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश सं० एफ.13(1)वित्त/नियम/2003 दि० 28.01.2004 एवं 27.03.2004 के तहत अंशदायी पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश, जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो, उनके अधीन ही सेवा एवं सेवालालाभ देय होंगे।
10. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे परन्तु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश एवं गत भुगतान प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
11. यदि किसी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कोई कमी अथवा दस्तावेज फर्जी पाये जाते हैं, तो राज्य सरकार इनकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर सकेगी।
12. सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर ही अंकित की गई है। अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
13. चयनित अभ्यर्थियों के अपने से वरिष्ठ/कनिष्ठ के पूर्व में एवं बाद में कार्यभार ग्रहण करने की स्थिति में इनकी वरिष्ठता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनकी वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान लोक सेवा आयोग से मेरिट सूची के आधार पर ही होगा।
14. अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :-

1. उक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की जांच निदेशालय स्तर पर की जाकर इनकी निजी पत्रावलियों में संधारित कर लिये गये हैं।
2. सम्बन्धित अधिकारी अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों का पुनः सत्यापन कर उपस्थिति स्वीकार करे। तत्पश्चात् सेवाभिलेख का संधारण करे तथा दस्तावेजों की एक-एक प्रमाणित प्रति निजी पत्रावली में रखे।
3. मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरान्त सेवा पुस्तिका में शैक्षणिक योग्यता व जन्म तिथि का स्पष्ट अंकन किया जावे। राज्य से बाहर के शैक्षणिक बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/अंक




तालिकाओं/उपाधियों का सत्यापन संबंधित अभ्यर्थी की उपस्थिति लेने के पश्चात् बोर्ड/विश्वविद्यालय से करवाया जाना अनिवार्य है।

(विकास सीताराम जी भाले)
आयुक्त कृषि
दिनांक : 16-11-2017

क्रमांक प.2(4)(क.लि.)(सीधी भर्ती)आ.कृ/ 6141-55

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय कृषि मंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज0 जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग को उनके पत्रांक पं.1(2)प्र0सु0/ अनु-3/2016 दिनांक 12.09.2017 के संदर्भ में।
4. सम्बन्धित कार्यालय
5. श्री को प्रेषित कर लेख है कि मूल दस्तावेजों एवं उनकी प्रमाणित प्रतियों तथा मय (वोटर आई डी./झाड़विंग लाईसेंस/राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित फोटो पहचान पत्र/पासपोर्ट/आधार पहचान पत्र/पैनकार्ड) के सम्बन्धित कार्यालय में उपस्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
6. निजी/आरक्षी पत्रावली


(सोमेन्द्र शर्मा)
संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)